कार्यालय संयुक्त संचालक, (कौशल विकास)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, ग्वालियर क्षेत्र
द्वितीय तल, मोतीमहल,ग्वालियर (म0प्र0)

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिवपुरी में विशेष भर्ती अभियान के तहत निःशक्जतनो से चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती किया जाना है । निःशक्जतनो से चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती किये जाने वाले पदों के लिये शैक्षणिक योग्यता आठवी उत्तीर्ण होना चाहिये, आयु सीमा 01/01/2018 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 01.01.2018 के स्थिति में 45 वर्ष होगी।

वेतनमान मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत पे बेण्ड लेवल–1 में रूपये 15500–49000 एवं स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते की पात्रता होगी।

आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता, एवं रिक्त स्थानों की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mpskills.gov.in से प्राप्त की जा सकती है । मध्यप्रदेश के मूल निवासी पात्र एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र सीधे संयुक्त संचालक, कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाये द्वितीय तल मोतीमहल ग्वालियर में **दिनाँक–28.03.2018** शाम 5.30 बजे तक जमा कर सकते हैं । अन्तिम तिथि को स्थानीय अवकाश, सार्वजनिक अवकाश आदि होने की दशा में अन्तिम तिथि आगामी कार्यदिवस को मान्य की जावेगी ।

संयुक्त संचालक कौशल विकास
क्षैत्रीय कार्यालय,
औ.प्र.संस्थायें ग्वालियर (म.प्र.)
दूरभाष –0751–2434748

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त संचालक कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाये

द्वितीय तल मोतीमहल– ग्वालियर (म.प्र.)

Email:- gwaliorjd@gmail.com

विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत निःशक्तजनो से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन

1.प्रभार क्षेत्र की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिवपुरी में निम्नानुसार पद के लिये चयन की कार्यवाही की जाना है।

सं.क्र.	पदनाम	पदों की संख्या वेतनमान	वेतनमान	कार्यालय कानाम एवं पता जहॉ आवेदन किया जाना है
1	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार)	01	मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत पे बेण्ड लेवल–1 में रूपये 15500–49900 एवं स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते	संयुक्त संचालक, कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाये द्वितीय तल मोतीमहल ग्वालियर (म.प्र.)

2. इच्छुक निःशक्त अभ्यर्थी उक्तानुसार पदो के सामने उल्लेखित कार्यालय में पंजीकृत डाक में अथवा स्वंय उपस्थित होकर दिनांक 28.03.2018 सायं 5.00 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते है।

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य/चौकीदार) की श्रेणी दृष्टि बाधित की जानकारी परिशिष्ट–एक पर दी गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–दो तथा निर्देशोंका पूर्ण विवरण कौशल विकास संचालनालय की बेबसाईट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है। प्रत्येक आवेदक आवेदन करने के पूर्व नियम निर्देश अवश्य पढ़ें।

संयुक्त संचालक कौशल विकास
क्षेत्रीय कार्यालय
औ.प्र.संस्थायें ग्वालियर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट—एक

भृत्य/चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी) के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की संख्या

(आई.टी.आई. में निःशक्तजनो के लिये आरक्षित पद)

ITI-2018

सं.क.	आई.टी.आई. का नाम	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अनिवार्य शैक्षणिक /तकनीकी योग्यता
1	2	3	4	5	6
01	शिवपुरी	—	01	—	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवी कक्षा उत्तीर्ण हो

संयुक्त संचालक कौशल विकास
क्षैत्रीय कार्यालय
औ.प्र.संस्थायें ग्वालियर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

<u>क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त संचालक कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाये</u>
<u>द्वितीय तल मोतीमहल– ग्वालियर (म.प्र.)</u>

के अन्तर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ एवं कार्यालयो में विशेष भर्ती अभियान के तहत निःशक्तजनो से चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के विभिन्न पदो पर भर्ती के लिये चयन 2018

आईटीआई चतुर्थ श्रेणी पदो पर भर्ती हेतु चयन–2018

निर्देश

चयन संबंधी निर्देश

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कार्यालयो में विशेष भर्ती अभियान के तहत निःशक्जतनो से चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के पदो पर आवेदन पत्रा आमंत्रित करने के लिये निम्न निर्देश लागू होंगेः–

1. सामान्य

यह निर्देश उन समस्त निःशक्त आवेदको पर लागू होंगे जो कि कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के पदो पर चयन 2018 में आवेदन कर रहे है।

2. पदों की संख्या, आरक्षण तालिका एवं शैक्षणिक योग्यताः–

संलग्न परिशिष्ट–एक एवं दो अनुसार

3. आरक्षणः–

3.1 संबंधित निःशक्त (पुरूष/महिला) उम्मीदवार, उपलब्ध न होने पर पद को रिक्त रखा जावेगा।

3.2 पदो का आरक्षण दृष्टि बाधित संबंधी निःशक्तता के आधार पर होगा।

4. वेतनमान

4.1. परिशिष्ट–एक चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत पे बेण्ड लेवल–1 में रूपये 15500–49900 एवं स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते की पात्राता होगी।

5. न्यूनतम आयु सीमा 01.01.2018 की स्थिति में :–

5.1 सभी पदो के लिये 18 वर्ष

6. म.प्र. के निःशक्तजन आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 01.01.2018 के स्थिति में 45 वर्ष होगी।

सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी श्रेणी के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

7. आवेदन भरने के निर्देश :–

71. चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार) के पद हेतु आवेदन करने वाले निःशक्त उम्मीदवार संबंधित संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय औ.प्र.संस्थाये ग्वालियर मध्यप्रदेश में आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2018 सायं 5.00 बजे तक आवेदन कर सकते है। आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनो को स्वीकार नही किया जावेगा।

7.2 कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशो को पढ ले।

7.3 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं नियमानुसार आवेदक के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.4 कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करे जो निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुये हो लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित न हुआ हो।

समस्त प्रमाण पत्र जैसे–जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किये हुये हो मान्य होंगे।

7.5 आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

7.6 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ हो । इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना है। चयनित होने की दशा में सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित तिथि को मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा।

7.7 जिस आवेदक की दो से अधिक संताने हो जिसमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करे।

7.8 शासन द्वारा निर्धारित आयु निर्धारित आयु अर्थात महिलाओ के लिये 18 वर्ष एवं पुरूषो के लिये 21 वर्ष से कम में विवाह करने वाला उम्मीदवार नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करे।

7.9 शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्था/कार्यालयो में कार्यरत आवेदनकर्ता को अपने कार्यालय/विभाग का एन.ओ.सी प्राप्त करना अनिवार्य है। अभिलेखो की जॉच के समय एन.ओ.सी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7.10 आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–दो पर संचालनालय की बेबसाईट पर www.mpdt.nic.in पर उपलब्ध है।

7.11 आवेदन पत्रा में आवेदक अपने पते में मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल अवश्य दें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे परिवर्तित न करे। परिवर्तन करने की स्थिति में यदि कोई सूचना प्राप्त नही होती है तो इसकी जबावदारी उम्मीदवार की स्वंय की होगी।

7.12 शासन के नियमानुसार नियुक्ति के लिये मेडिकल बोर्ड से जारी किया हुआ कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण आवश्यक है।

8. दस्तावेजों का परीक्षण :–

8.1 आवेदको से प्राप्त आवेदन पत्रो की जॉच व दस्तावेजो का परीक्षण संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाये, द्वितीय तल मोतीमहल ग्वालियर मध्यप्रदेश जहां आवेदन पत्र जमा किया है, में किया जावेगा। आवेदन पत्र में विज्ञापन अनुसार समस्त अर्हताये पूर्ण होने पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के समरूप उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज की जॉच हेतु बुलाया जावेगा, मूल दस्तावेज सही पाये जाने पर नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। यदि जॉच में में यह पाया जाता है कि आवेदक विज्ञापन अनुसार अर्हता नहीं रखता है अथवा संबंधित पद के कृत्यों में निःशक्तता बाधित होने पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त मानी जाएगी।

चयन सूची संचालनालय की बेबसाईट www.mpskills.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी। चयनित अभ्यर्थी को पृथक से पत्र व्यवहार के पते पर मूल दस्तावेज परीक्षण हेतु सूचना पत्र जारी किया जावेगा।

9. चयन प्रक्रिया :–

क.	पद का नाम	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	चयन की प्रक्रिया
1	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार)	कक्षा आठवी उत्तीर्ण	आठवी में प्राप्त अंको के प्रतिशत की मेरिट के आधार पर

10. जिन उम्मीदवारों के अभिलेख एवं प्रमाण पा विज्ञापन अनुसार सही पाये जावेंगे उनका पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवार को जिला मेडीकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11. समस्त प्रकार के पदो के लिये चयन केवल शैक्षणिक / तकनीकी अर्हता की मेरिट के आधार पर होगा।

12. शासकीय सेवा हेतु निर्धारित म.प्र. शासन के अन्य नियम/निर्देश लागू होंगे।

13. न्याय/क्षेत्राधिकार :–
किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।

संयुक्त संचालक कौशल विकास
क्षेत्रीय कार्यालय
औ.प्र.संस्थायें ग्वालियर (म.प्र.)

परिशिष्ट–दो

आवेदन–पत्र

प्रति,

संयुक्त संचालक, कौशल विकास
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाये,
द्वितीय तल मोतीमहल ग्वालियर (म.प्र.)

आवेदक यंहा अपनी पासपोर्ट साईज फोटो

आवेदित पद का नाम : ....

1	आवेदक का नाम(हिन्दी में)	:	....
	अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरो में)	:	....
2	लिंगः पुरूष / महिला	:	....
3	पिता का नाम	:	....
4	आवेदक का निःशक्तता का प्रकार (अस्थि बाधित / दृष्टिबाधित / श्रवण बाधित)	:	....
5	(अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता एवं दूरभाष क्रमांक व ई–मेल आई डी (हिन्दी में पिनकोड सहित)	:	....
	(ब) स्थायी पता	:	....
6	आवेदक की जाति (एससी / एसटी / ओबीसी / अनारक्षित) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण संलग्न करे)	:	....
7	(अ)जन्म तिथि अंको में	:	....
	(ब) शब्दो में	:	....
	(स) दिनांक 01.01.2018 को आयु	:	....
8	क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है, हॉ / नही (मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:	....
9	जन्म स्थान (ग्राम / शहर / जिला / राज्य का नाम लिखे)		ग्राम / शहर..........................जिला.............................राज्य.........................
10	रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक	:	....
11	रोजगार कार्यालय का नाम	:	....
12	विवाहित होने की स्थिति में विवाह का दिनांक	:	....

13 जीवित बच्चो का विवरण

क्रं.	नाम	लिंग	जन्मतिथि

12 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताऐं (प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय / व्यवसाय ब्रांच का नाम	पूर्णांक एवं प्राप्तांक	प्राप्ताकों का प्रतिशत दशमलव के दो अंको तक

प्रमाण—पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता हूँ। मेरे योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि ....अथवा उसके पूर्व जारी किये गये है। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम............................